Haryana College Teacher's Association

[Affiliated to AIFUCTO] | Website : www.heta.in

Dayanand Malik
President
All India Jat Heroes' Memorial College, Rohtak
Mob. 9813764351, 7188023380
E-mail: malikdayanand03@yahoo.com

Dr. Chand Singh
General Secretary
D.A.V.P.G. College Lahore, Ambala City
Mob: 9354732700
E-mail : chanddav74@gmail.com

Ref. No. HCTA /04/2019/1

Date 06/04/2019

For Circulation among Unit Members

आदरणीय साथियो !

बहुत-बहुत बधाई !

साथियो दिनांक 5/4/2019 को DGHE की ओर से API Guidelines के 20/9/12 के पत्र के Point No-6 को Withdraw कर लिया है। जिसमें कहा गया था "... if an Assistant Professor possesses Ph.D. degree in lieu of relaxation of NET as assential eligibility condition, then he will be treated at par of Assistant professor having post graduate degree with NET qualification." 20/9/12 के पत्र के Piont No-6 की वजह से शिक्षक साथियों की प्रमोशन के केस रुके हुए थे। अब इस Piont No-6 के समाप्त होने से हमारे शिक्षकों के प्रमोशन केस 4 वर्ष (पीएच.डी.) व 5 वर्ष (एम.फिल.) में होने आरम्भ हो जायेंगे।

साथियो, इस मुद्दे को लेकर HCTA का एक लम्बा संघर्ष रहा है। सितम्बर 2009 के यूजीसी नोटिफिकेशन व 21/7/11 के हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन में Ph.D., M.Phil. without NET का प्रमोशन पीएच.डी. 4 वर्ष व एम.फिल. 5 वर्ष था। परन्तु DGHE ने 20/9/12 को API की गाइडलाइन जारी की तो Point No 6 में पीएच.डी. 4 वर्ष व एम.फिल. 5 वर्ष without NET की प्रमोशन के समय को 6 वर्ष कर दिया था। जिस वजह से शिक्षक साथियों के प्रमोशन में समस्या आनी आरम्भ हो गई थी। इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए HFUCTO (HCTA, HGCTA, KUTA & MDUTA) का निरंतर प्रयास रहा।

1. 21/7/11 के हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन जिसमें API भी था को लागू करवाने के लिए HFUCTO की ओर से 13/8/12 को कॉलेज स्तर पर 10 बजे से 1 बजे तक धरना दिया गया व हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम प्रत्येक कॉलेज से मांग-पत्र भेजा गया।
2. HCTA के प्रयास से हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों में 2013 तक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करवाया

गया ताकि एपीआई की नई व्यवस्था से 2006 के बाद के शिक्षक साथियों की प्रमोशन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो सके।

3. सभी एडिड कॉलेजों के शिक्षकों के प्रमोशन केस उनसे सम्बन्धित विश्वविद्यालय में जाते हैं, जबकि सरकारी कॉलेज के शिक्षकों के प्रमोशन केस सीधे DHE को भेजे जाते हैं।

4. विश्वविद्यालय की स्क्रीनिंग कमेटी ने एडिड कॉलेजों के उन शिक्षकों के केस 4 व 5 वर्ष में क्लीयर कर दिए जिनके पास NET नहीं था व वे केवल पीएच.डी. व एम.फिल. थे। उधर DHE द्वारा सरकारी कॉलेजों के किसी भी शिक्षक को यह लाभ प्रदान नहीं किया। अत: बाद में एडिड कॉलेजों के प्रमोशन-केसों को भी रोका जाने लगा, जिससे स्थिति गंभीर हो गई। अब तक जो शिक्षक Stage I (6000) से stage II (7000) में जा चुके थे। उनके stage II (7000) to stage III (8000) के प्रमोशन केस रुक गए।

5. इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए HFUCTO व HCTA के सरकार को दिए जाने वाले सभी मांग पत्रों व धरनों में यह मुद्दा शामिल रहा ताकि सरकार इस पर जल्द ध्यान दे। इस विषय के समाधान के सम्बन्ध में HCTA निरंतर अधिकारियों से मांग करती रही। एचसीटीए ने 28/8/18 के पत्र में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री को इस मुद्दे से सम्बन्धित मांग का ब्यौरा हरियाणा सरकार द्वारा यूजीसी से मांगे गए सभी स्पष्टीकरणों की प्रतियों का उल्लेख करते हुए भेजा गया। नोट : इस मुद्दे पर 12 फरवरी 2018 को श्री विजय दहिया, आईएएस, महानिदेशक से एचसीटीए का प्रतिनिधि मंडल मिला। इस मिटिंग में निदेशालय के सभी उच्चाधिकारी मौजूद थे और श्री विजय दहिया जी ने इस मांग को स्वीकार कर लिया था। लेकिन 15/4/2018 को जब एसीएस श्रीमती ज्योति अरोड़ा आईएएस से प्रतिनिधि मंडल इस फाइल के बारे में मिला तो उन्होंने इस मांग को सिरे से अस्वीकार कर दिया था।

6. इन प्रयासों में माननीय मुख्यमंत्री जी के रोहतक दौरे के समय महर्षि दयानंद युनिवर्सिटी में 1 जनवरी 2019 को HFUCTO के पदाधिकारी मुख्यमंत्री जी से मिले व उन्हें इस समस्या से अवगत करवाया गया। इस समस्या के समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने अपने एडीसी श्री आलोक वर्मा आईएएस को इस मांग को पूरा करने का निर्देश दिया। **उसके बाद हमारे अध्यक्ष डॉ. दयानंद मलिक व एचफुक्टो डॉ. नरेन्द्र चाहर लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय व उच्चतर शिक्षा विभाग के सम्पर्क में थे।**

7. इस कार्य की सफलता में माननीय मुख्यमंत्री के एडीसी का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा जिनके प्रयासों से HCTA के पदाधिकारियों की 4 जनवरी 2019 को एसीएस से एक लम्बी व सार्थक बैठक हुई। इस बैठक में प्रमोशन केसों से सम्बन्धित सभी यूजीसी से किए गए पत्राचार व स्पष्टीकरण के दस्तावेजों पर गहन चर्चा हुई व ये दस्तावेज उन्हें सौंपते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की।

8. इसी बैठक के पश्चात् ACS द्वारा शिक्षा विभाग में श्री वीरेन्द्र चौधरी (HCS) की अध्यक्षता में इस मामले

के समाधान को लेकर एक कमेटी का गठन हुआ।HCTA के पदाधिकारी इस कमेटी के सदस्यों से भी मिले व उन्हें इस मामले की वास्तविकता से अवगत करवाया व यूजीसी द्वारा दिए स्पष्टीकरणों पर विस्तृत चर्चा की।

9. इसी विषय के जल्द निपटारे के लिए 5/2/2019 को HFUCTO द्वारा जारी पत्र अनुसार 16/2/2019 को कॉलेज में 12 बजे से 2 बजे तक धरना दिया गया व प्रत्येक कॉलेज से माननीय मुख्यमंत्री के नाम मांग-पत्र भेजे गए। साथ ही 26/2/2019 को इस विषय को लेकर पंचकुला में धरने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, ACS & DHE को लिखा।

10. इसी बीच DGHE ने HFUCTO के प्रतिनिधिमंडल से 22/2/2019 को एक बैठक की व 10/3/2019 तक इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। जिस कारण 26/2/2019 का पंचकुला के धरने को रद्द कर दिया गया था।

11. HCTA के पदाधिकारियों की पिछले दिनों मुख्यमंत्री के ADC श्री आलोक वर्मा आईएएस, ACS श्री अनिल कुमार आईएएस व DGHE श्री ए. श्रीनिवास आईएएस से निरंतर मुलाकात व सम्पर्क का परिणाम यह रहा कि इस विषय में हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हुए। अभी 28/3/19 को HCTA के प्रधान प्रो. दयानन्द मलिक द्वारा एसीएस से सम्पर्क करके इस फाइल को क्लीयर करवा कर DHE ऑफिस भिजवा दिया गया था।

अत: हम माननीय मुख्मयंत्री, माननीय शिक्षा-मन्त्री व उनके विभाग के समस्त अधिकारियों, कमेटी के सदस्यों का हृदय से इस सहयोग के लिए धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम अपने सभी साथियों का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने धैर्य बनाए रखा व एचसीटीए को पूर्ण सहयोग किया। HCTA अपने शिक्षकों साथियों के सहयोग से आगे बढ़ते हुए सामुहिक हितों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्षरत रहेगी। इस विषय से सम्बन्धित DGHE से किया गया पत्राचार hcta.in पर उपलब्ध है।

शिक्षक एकता जिंदाबाद!!! HCTA जिंदाबाद!!!

Chand

डॉ. चाँद सिंह
महासचिव